	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	ज्येष्ठ 16, सोमवार, शाके 1944-जून 6, 2022 *Jyaistha 16, Monday , Saka 1944- June 6, 2022*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक विभाग

क-ग्रुप-2

अधिसूचना

जयपुर, जून 03, 2022

जी.एस.आर.36 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 320 के खण्ड (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियम, 1951 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन विनियमों का नाम राजस्थान लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन)(संशोधन) विनियम, 2022 है।

(2) ये तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

2. विनियम 6 का संशोधन.- राजस्थान लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियम, 1951 के विनियम 6 के विद्यमान खण्ड (त) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(त) जब नियुक्ति, हरीशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान में निम्नलिखित पदों पर की जानी हो-

(i) वरिष्ठ आचार्य;

(ii) आचार्य;

(iii) सह-आचार्य; और

(iv) सहायक आचार्य;

इन पदों पर भर्ती और/या पदोन्नति निम्नलिखित से गठित समिति की सिफारिश पर की जायेगी:-

1	अध्यक्ष, राजस्थान लोक सेवा आयोग या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट उसका कोई सदस्य।	अध्यक्ष
2	शासन सचिव, कार्मिक विभाग का प्रभारी।	सदस्य
3	सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाने वाला कोई विशेषज्ञ।	सदस्य
4	महानिदेशक/निदेशक ,हरीशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर।	सदस्य–सचिव

"

[सं.एफ.8(7)डीओपी/ए-II/74पार्ट]
राज्यपाल के आदेश और नाम से,
रामनिवास मेहता,
संयुक्त शासन सचिव।

DEPARTMENT OF PERSONNEL

A-Gr.II

NOTIFICATION

Jaipur, June 03, 2022

G.S.R.36 .-In exercise of the powers conferred by the proviso to clause (3) of Article 320 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following Regulations further to amend the Rajasthan Public Service Commission (Limitation of Functions) Regulations, 1951, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These regulations may be called the Rajasthan Public Service Commission (Limitation of Functions) (Amendment) Regulations, 2022.

(2) They shall come into force with immediate effect.

2. Amendment of Regulation 6.- The existing clause (p) of regulation 6 of the Rajasthan Public Service Commission (Limitation of Functions) Regulations, 1951 shall be substituted by the following, namely:-

"(p) when the appointment is to be made to the following posts in the Harish Chandra Mathur Rajasthan State Institute of Public Administration:-

(i) Senior Professor;

(ii) Professor;

(iii) Associate Professor; and

(iv) Assistant Professor.

Recruitment and/or promotion to these posts shall be made on the recommendations of a Committee consisting of the following:-

1.	Chairman, Rajasthan Public Service Commission or a member thereof nominated by him.	Chairman
2.	Secretary to the Government incharge of Department of Personnel.	Memberz
3.	An expert to be nominated by the Government.	Member
4.	Director General/ Director, Harish Chandra Mathur Rajasthan State Institute of Public Administration, Jaipur.	Member- Secretary

”

[No. F. 8(7)DOP/A-II/74 Pt.]

By order and in the name of the Governor,

RAM NIWAS MEHTA,

JOINT SECRETARY TO THE GOVERNMENT.

Government Central Press, Jaipur.